



पत्रांक :- BMSIC/24-25/D/ 1359

दिनांक- 27/12/2024

प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (परि०)
दरभंगा / मधुबनी
BMSICL

सेवा में,

M/S Sanjay Kumar,
Belwaganj, Laheriasarai,
Dist- Darbhanga.

विषय :- दरभंगा जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र संख्या- 78, 79 एवं 80 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग :- अद्योहस्ताक्षरी का पत्रांक 1207 दिनांक 05.11.2024 एवं पत्रांक 1164 दिनांक 17.10.2024

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि दरभंगा जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 78 एवं 79 में भवन के निर्माण कार्य का कार्यादेश दिनांक- 21.01.2022 को निर्गत हुआ था तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि 15 माह थी। परन्तु 35 माह पूर्ण हो जाने के उपरांत भी आपके द्वारा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से आपको अनेको बार कार्य में तीव्रता लाने हेतु एवं कार्य को पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु आपके शिथिलता एवं लापरवाही के कारण वर्तमान में भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। इस संबंध में आपको स्पष्टीकरण भी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पूछा गया था लेकिन आपके द्वारा स-समय संतोषजनक जबाव नहीं दिया गया है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित कार्य को स-समय पूर्ण करने के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण आपको बिहार ठेकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) एवं एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने अथवा अगले एक साल तक जो भी पूर्व में हो, किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) की जाती है।

विश्वासभाजन

27/12/2024

उप. महाप्रबंधक (परि०) Projects)
BMSICL, PATNA

पत्रांक :- BMSIC/24-25/D/

दिनांक-

प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (परि०)
दरभंगा / मधुबनी
BMSICL

सेवा में,

M/S Sanjay Kumar,
Belwaganj, Laheriasarai,
Dist- Darbhanga.

विषय :- दरभंगा जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र संख्या- 78, 79 एवं 80 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग :- अद्योहस्ताक्षरी का पत्रांक 1207 दिनांक 05.11.2024 एवं पत्रांक 1164 दिनांक 17.10.2024

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि दरभंगा जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 78 एवं 79 में भवन के निर्माण कार्य का कार्यादेश दिनांक- 21.01.2022 को निर्गत हुआ था तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि 15 माह थी। परन्तु 35 माह पूर्ण हो जाने के उपरांत भी आपके द्वारा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से आपको अनेको बार कार्य में तीव्रता लाने हेतु एवं कार्य को पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु आपके शिथिलता एवं लापरवाही के कारण वर्तमान में भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। इस संबंध में आपको स्पष्टीकरण भी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पूछा गया था लेकिन आपके द्वारा स-समय संतोषजनक जबाव नहीं दिया गया है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित कार्य को स-समय पूर्ण करने के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण आपको बिहार ठेकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) एवं एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने अथवा अगले एक साल तक जो भी पूर्व में हो, किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) की जाती है।

विश्वासभाजन

ह०/-

उप महाप्रबंधक (परि०)



ज्ञापांक :- BMSIC/24-25/D/ दिनांक-
प्रतिलिपि :- मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)/महाप्रबंधक (परि०)/उप महाप्रबंधक (मु०) BMSICL पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०/-
उप महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक :- BMSIC/24-25/D/
प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ।

दिनांक-

ह०/-
उप महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक :- BMSIC/24-25/D/ 1359 दिनांक- 27/12/2024
प्रतिलिपि :- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL के
बेवसाइट पर संवेदक को डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

उप महाप्रबंधक (परि०) (Projects)
Dy. General Manager (Projects)
BMSICL, PATNA